न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30 / 2021(उदयपुरआर्डर)

गोविन्द अग्रवाल पिता श्री गौरीशंकर अग्रवाल, निवासी 2 पंचवटी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

तुलजा शंकर पिता श्री कुन्दनलाल नागदा, निवासी सिसारमा, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध निर्णयसहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा प्रकरण संख्या 123 / 2019 दिनांक 22.09.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री दुर्गासिंह शक्तावतअभिभाषकअपीलान्ट

2. श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

———::———

निर्णयदिनांक 04—01—2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 39 नियम 1, 2 एवं धारा 151 जा.दी.का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सिसारमा में खाता संख्या 53 में आराजी नंबर 776, 777, 778, 782, 783, 785, 786, 787, 788, 797 व 798 कुल किता 11 रकबा 4.0650 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 77 / 194 व धमेन्द्र, सुश्री लोचन, मुन्नाबाई का 77 / 194 व विपक्षी का 20 / 97 यानि 40 / 194 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 52 में आराजी नंबर 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 799, 803, 804, 805, 5342 / 798 कुल किता 13 रकबा 3.0050 हैक्टर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 51 / 152 व धमेन्द्र, सुश्री लोचन, मुन्नाबाई का 51 / 152 व विपक्षी का 25 / 76 यानि 50 / 152 हिस्सा है।उक्त जमीन शामलाती होकर प्रार्थी की मौरूसी जायदाद है, जिसका अभी विभाजन नहीं हुआ है एवं पूरी जमीन पर प्रार्थी का ही कब्जा चला आ रहा है। खाता संख्या 53 की जमीन में 401 / 194 वां हिस्सा विपक्षी ने लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई पिता किशोरीलाल से क्रय कर ली है, परन्तु मौके पर लक्ष्मीबाई व दुर्गाबाई का कब्जा नहीं होने से विपक्षी को कब्जा सिपुर्द नहीं किया गया है, परन्तु विपक्षी विक्रय पत्र [illegible]ड़ में जबरन प्रवेश करने पर उतारू हैं, जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं [illegible] अतः विपक्षीगण को ताफैसला

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:46 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वेप्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 व 3 में वर्णित आराजियात का जब तक बंटवारा नहीं हो, तब तक जबरन प्रवेश नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

विपक्षी की ओर सेखण्डन का जवाब प्रस्तुत कर किया गया एवं निवेदन किया कि लक्ष्मीबाई, दुर्गाबाई व अन्य का प्रारम्भ से अपने हिस्से पर कब्जा काश्त रहा है एवं उनके द्वारा अपना हिस्सा विपक्षी को विक्रय कर देने से प्रार्थी के मन में बदनियती आ गयी है। इस कारण यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 22–09–2021 प्रार्थी का प्रार्थना पत्रस्वीकार करविपक्षी को मूलवाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा दिनांक 16–11–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्टकी ओर से वकील श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए।अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं बताया किअधिनस्थ न्यायालय के समक्ष से सुस्पष्ट स्थिति थी कि वादग्रस्त भूमियां रेस्पोन्डेन्ट एवं हुक्मराज की जर खरीद होकर मोतीलाल ब्राहमण द्वारा दोनों को अलग–अलग कब्जा सिपुर्द किया गया था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने मौके पर विभाजन नहीं होना मानकर निर्णय पारित करने में भूल की है। रेस्पोन्डेन्ट ने वादग्रस्त भूमियों को मौरूसी होना बताया है, जबकि रेकार्ड अनुसार वादग्रस्त भूमियां रेस्पोन्डेन्ट एवं हुक्मराज की जर खरीद होना पंजीकृत विक्रय पत्र से प्रमाणित है, जिसमें उनके द्वारा मोतीलाल से कब्जा प्राप्त करना स्वीकार किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा तो भूमियां अन्य किशोरलाल के वारिसान से क्रय की गयी हैं, इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला मानकर निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायिक नजीर**(2003) 0 RLW (RJ) 156 0 Supreme (Raj) 270 Janki Lal VS Pravin Kumar**प्रस्तुत की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:46 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताया तथा अपील अपीलान्ट खारिज करने का निवेदन किया। अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने न्यायिक नजीरें **RBJ (25) 2018 Page 706, RRT 2004(1) Page 611,RRT 2004(1) Page 607**प्रस्तुत की।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। अपीलान्ट का कथन है कि उसके द्वारा विभाजित हिस्सा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है, जबकि इस बाबत् उनके द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है एवं न ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थति में अधिनस्थ न्यायालय ने बिना विभाजन के अपीलान्ट/विपक्षी द्वारा भूमि क्रय जाने से विपक्षी/अपीलान्ट को स्ट्रेन्जर परचेजर मानते हुए मूलवाद के निस्तारण तक उनके विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है, जो अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिकनजीर **RBJ (25) 2018 Page 706, RRT 2004(1) Page 611,RRT 2004(1) Page 607**की रोशनी में विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। जहां तकअभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीर **(2003) 0 RLW (RJ) 156 0 Supreme (Raj) 270 Janki Lal VS Pravin Kumar**का प्रश्न है, उक्त न्यायिक नजीर के तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं। विपक्षी/अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमियों का कौन सा हिस्सा क्रय किया गया है, इसका निस्तारण तो मूलवाद में साक्ष्यों के आधार पर ही किया जा सकता है।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22–09–2021यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 04–01–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2023.02.09 13:11:46 IST
Reason: SelfAttested